Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

150-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023 (BHADRA 1, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 23rd August, 2023

No. 11-HLA of 2023/148/13745.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 11-HLA of 2023

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Act, 2023. Short title.

2. In section 3C of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975,– Amendment of section 3C of Haryana Act 8 of 1975.

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Registration of independent residential and commercial floors.";

(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The registration of independent residential and commercial floors for the purpose of transfer, sale, gift, exchange or lease in perpetuity in a colony, for which a licence has been granted under this Act, shall be permitted as independent residential dwelling unit or commercial unit:

Provided that no sub-division of land under the residential dwelling unit or commercial unit shall be permitted and the registration shall be limited to only one residential dwelling unit or commercial unit on each floor.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3-C of The Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 enables registration of independent residential floors for the purpose of transfer, sale, gift, exchange or lease in perpetuity in a colony, for which a licence has been granted under the Act ibid. Currently, there is no statutory provision to allow registration of independent floors in Commercial plots forming part of licensed colonies. However, the same is already allowed in Sectors/ Estates developed by Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (HSVP) vide policy instructions dated 05.12.2020. Therefore, at parity with HSVP commercial development, it is proposed that Section 3-C of the Act may be amended to allow registration of independent floors in case of commercial plots forming part of licenced colonies also.

Hence, the bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 23rd August, 2023.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2023 का विधेयक संख्या 11–एच०एल०ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3ग का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग में,–

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण।";

(ii) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) किसी उपनिवेश, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, में अंतरण, विक्रय, उपहार, आदान–प्रदान या शाश्वत पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण, स्वतन्त्र आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के रूप में अनुज्ञात होगा :

परन्तु आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के अधीन भूमि का कोई भी उप–विभाजन अनुज्ञात नहीं होगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग, किसी उपनिवेश, जिसके लिए अनुज्ञप्ति उपरोक्त अधिनियम के अधीन प्रदान की गई है, में अंतरण, विक्रय, उपहार, विनिमय या शाश्वत पट्टे के उद्देश्य से स्वतंत्र आवासीय मंजिलों के पंजीकरण को सक्षम बनाता है। वर्तमान में, अनुज्ञप्ति प्राप्त उपनिवेशों का हिस्सा बनने वाले वाणिज्यिक भूखंडों में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। हालाँकि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के दिनांक 05.12.2020 के नीति निर्देशों के तहत विकसित सेक्टरों/संपदाओं में इसकी अनुमति पहले से ही है। अतः, एचएसवीपी द्वारा किये गए वाणिज्यिक विकास की समानता पर, यह प्रस्तावित है कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों का हिस्सा बनने वाले वाणिज्यिक भूखंडों की स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए अधिनियम की धारा 3ग में संशोधन किया जाए।

अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

मनोहर लाल,
मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 23 अगस्त, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।

10547—H.V.S.—H.G.P., Pkl.